न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—3/2021/223 (2021/3)

1. जीवन पुत्र काना, जाति मेहरात, निवासी माण्डावास पोस्ट देलवाड़ा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती सायरी पत्नि मेन्दू,
2. इन्दु पुत्री मेन्दू,
3. दिलीप पुत्र मेन्दू,
4. मुकेश पुत्र मेन्दू,
   समस्त जाति मेहरात, निवासी माण्डावास, पोस्ट देलवाड़ा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर ।
5. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय उदयपुर रोड़, बाई पास के पास, ब्यावर, जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर ।
8. हल्का पटवारी, पटवार हल्का देलवाडा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 28.12.2020 अंतर्गत वाद संख्या 58/2020 (2020/00174).

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, वकील अपीलांट ।
2. श्री प्रदीप कुमार, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.
3. रेस्पो0 संख्या 4 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 से 8.

निर्णय

दिनांकः— 24.12.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय दिनांक 28.12.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद बाबत उद्घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इंद्राज दुरूस्ती हेतु प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डावास के खसरा नंबर 301 तहसील, ब्यावर में अवस्थित है जिसका रकबा 0.085 है0 है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी पर वादी अपने पूर्वजों के समय से लगभग 100 वर्षो से अधिक समय से मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 301 से लगते हुए ही वादी की खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

की आराजी खसरा नंबर 299 अवस्थित है । इस प्रकार वाद अपने पूर्वजों के समय से ही अपनी खातेदारी की आराजी के साथ खसरा नंबर 301 पर भी काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त आराजी से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का का किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पिता एवं पति मेन्दू पुत्र गुलाब ने राजस्व कर्मचारियों से साज करके उक्त आराजी को अपने नाम दर्ज करवा ली तथा वादीग्रस्त आराजी बाबत् वादी को खातेदारी/काश्तकारी प्रदान की जावे । उक्त आशय का राजस्व वाद पत्र प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया जिस पर अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर दिनांक 28.12.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया। अधी.0न्याया.0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । वादी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष हस्तगत वाद खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया था तथा प्रतिवादीगण द्वारा अविधिक रूप से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया था । वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था । प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई विधिक कारण अंकित नहीं किया था जिससे साबित हो कि वादी का वाद किसी भी विधि से वर्जित हो । अधी0न्याया0 को प्रतिवादीगण से जवाबदावा तलब कर ऐसे किसी बिन्दु पर तनकीयात कायम कर तथा वादग्रस्त आराजियात बाबत् साक्ष्य एवं सुनवाई का संपूर्ण अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करना चाहिये था परन्तु अधी0न्याया0 ने सरसरी तौर पर प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पति एवं पिता मेन्दू पुत्र गुलाब द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी बाबत् सन् 1984 में राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके अविधिक रूप से फर्जकारी कारित कर अपने नाम नियमन करवा ली थी । वादी द्वारा उक्त फर्जी नियमन संबंधी आदेश बाबत् संबंधित कार्यालय में जानकारी करने पर कार्यालय द्वारा तलाशने पर भी उक्त नियमन वादी को उपलब्ध नहीं हुआ तथा संबंधित कार्यालय ने उक्त नियमन के आदेश की प्रति देने में असक्षमता बताई है । इससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात बाबत् ऐसा कोई नियमन आदेश पारित नहीं हुआ है । उक्त तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद को खारिज करने मे त्रुटि कारित की है । विवादित आराजी पर वादी का वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है जिस बाबत् वादी द्वारा वादपत्र के साथ डूंगा पुत्र हजारी, सिकन्दर पुत्र लक्ष्मण, सुलेमान पुत्र अणदा, उदा पुत्र मंगला, सहिदा पत्नि मोहन, रणजीत पुत्र सुवा के शपथ पत्र पेश किये थे साथ ही विवादित आराजियात बाबत् पास के पड़ौसी श्रीमती मैथी पत्नि बाबू की एक लिखतम भी पेश की थी जिसें उन्होंने स्वंय स्वीकार किया था कि विवादित आराजी पर वादी ही वर्षो से काबिज काश्त है तथा प्रतिवादीगण का आज दिनांक तक कभी भी कब्जा काश्त नहीं देखा गया है । रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से अधी0न्याया0 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र में अंकित कथन तथ्य एवं विधि का

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

मिश्रित प्रश्न था जिसका निस्तारण तनकी कायम कर ही किया जाना संभव था परन्तु अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 28.12.2020 के द्वारा वादी अपीलांट के वाद को अविधिक रूप से निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये है जो निरस्तनीय है । रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने दिनांक 9.2.2020 को थानाधिकारी, ब्यावर के समक्ष स्वंय लिखकर दिया था कि विवादित आराजी पर वादी का ही कब्जा काश्त है तथा वादी द्वारा ही आराजी पर फसल बाई हुई है, फसल वादी ही काटेगा जिस पर वे किसी प्रकार का विवाद नहीं करेंगे । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज कर वाद को तकनीकी आधार पर निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा वादी के वाद को तनकीयात कायम कर साक्ष्य इत्यादि लेकर गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत है । विवादित आराजी खसरा नंबर 301 रकबा 0.0850 है0 भूमि जरिये आवंटन/नियमन प्रतिवादीगण के पूर्वज मेन्दू पुत्र गुलाब के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी तत्पश्चात् खातेदारी में दर्ज की गई है । वर्तमान में रेस्पो0 संख्या 1 से 4 विवादित आराजियात खसरा नंबर 301 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त है । उक्त आराजी रेस्पो0 के नाम पुश्तैनी समय से दर्ज चली आ रही है । विवादित आराजी पर कभी भी अपीलांट अथवा उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त नहीं रहा है । आधिपत्यविहीन एवं अधिकारविहीन व्यक्ति को वाद लाने का विधिक अधिकार नहीं है । यह भी कथन किया कि वादी ने वाद प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 5 से 8 को धारा 80 जा0दी0 का नोटिस नही दिया जो कि आवश्यक था इसके अभाव में भी वादी का वाद संधारण योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/अपीलांट ने वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 एवं सपठित धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत पेश कर विवादित आराजी पर लगभग 100 वर्षो से कब्जा काश्त होने का कथन कर खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि खसरा नंबर 301 रकबा 0.0850 है0 भूमि उनकी खातेदारी की होकर काबिज काश्त चले आ रहे है । अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी का वाद इस आधार पर खारिज किया है कि वादी का विवादित भूमि पर 100 वर्षो से कब्जा काश्त होने के कथन झूंठे है तथा वादी को वादकारण उत्पन्न नहीं होता है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वादी का वाद जिन आधारों पर खारिज किया है उस संबंध में तनकी कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य एवं सुनवाई के उपरांत ही इन तथ्यों का निस्तारण किया जा सकता है किन्तु अधी0न्याया0 ने आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के तहत सरसरी तौर पर वादी/अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना विवादित आराजी पर अपीलांट/वादी का कब्जा काश्त न मानकर तथा वादकारण उत्पन्न होना मानकर वाद खारिज किया है जिसे

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत वाद उसी स्थिति में खारिज किया जा सकता है जहां वाद विधि द्वारा वर्जित हो । अधी0न्याया0 को प्रार्थना पत्र मे उठाये गये ऐतराज के संबंध में वाद में तनकियात कायम कर उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये ना कि तकनीकी आधार पर । दौराने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रकरण में तनकी कायम कर गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित करने का कथन किया है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2020 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.12.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर